बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, ROSARB रांची शाखाः
तीसरा तल्ला, एल एम स्क्वायर, सूजाता चौक, मेन रोड, रांची – 834001, झारखण्ड
अनुबंध-सी

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ''अनुबंध–IV–ए (अधिनियम 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटेरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूमिकरण और पूर्णगठन एवं सिक्युरिटी इंटेरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना. आम लोगों को तथा विशेष रूप से भाग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु **''जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर''** बेचा जायेगा। ऋणी / यों / बंधककर्ता/ओं / जमानतदार/रों / सुरक्षित सम्पत्ति/यों / बकायों / सुरक्षित मूल्य /ई–नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं / गारंटर/ बंधककर्ताओं का नाम और पता	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	कुल बकाया / ई–नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा राशि / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय
1.	ऋणी: **श्रीमती ममता देवी** पत्नी श्री राकेश रंजन कुमार क्वार्टर संख्या 616/एबी, टाईप–2, सुभाष नगर, डिजल कॉलोनी, पतरातु, रामगढ़, झारखण्ड – 829119 **इसके अलावा:** चांदनी चौक, लोवर बिथा, चांदनी चौक, कांके रोड, रांची, झारखण्ड–834006 जमानतदार: **श्री राकेश रंजन कुमार** क्वार्टर संख्या 616/एबी, टाईप–2, सुभाष नगर, डिजल कॉलोनी, पतरातु, रामगढ़, झारखण्ड – 829119 **श्री सरजु सिंह,** क्वार्टर संख्या 616/एबी, टाईप–2, सुभाष नगर, डिजल कॉलोनी, पतरातु, रामगढ़, झारखण्ड – 829119	श्री सरजू सिंह, पिता स्वर्गीय रघुबीर सिंह के नाम से दर्ज, गाँव – संकुल, थाना – पतरातु, थाना संख्या 21, खेवत संख्या 1, तौजी संख्या 28, पतरातु, जिला – रामगढ़, झारखंड में स्थित कुल 16 डिसमिल भूमि जिसका प्लॉट संख्या 2099, खाता संख्या 215 की संपूर्ण संपत्ति का साम्यिक बंधक जिसका सेल डीड संख्या 1612 दिनांक 22.01.2014 के माध्यम से दर्ज है। **चौहद्दी : उत्तर** – प्लॉट संख्या 2097, **दक्षिण** – रेल्वे की सड़क, **पूरब** – प्लॉट संख्या 2099, **पश्चिम** – प्रेमा देवी का मकान।	**Rs. 39,87,222.84** (रूपये उनचालीस लाख सतासी हजार दो सौ बाईस एवं पैसे चौरासी मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 15.05.2024 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 42,90,000.00 / Rs. 4,29,000.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
2.	ऋणी सह बंधककर्ता: **मो0 अलाउद्दीन** मालिक: मेसर्स अलाउद्दीन स्टोन चिप्स, पुत्र मो0 नबी अंसारी, गाँव–चुरचु, पोस्ट–ईचाक, थाना–ईचाक, हजारीबाग, झारखण्ड – 825302 **शबनम खातून** पत्नी मो0 अलाउद्दीन अंसारी, गाँव–चुरचु, पोस्ट–ईचाक, थाना–ईचाक, हजारीबाग, झारखण्ड – 825302	सम्पत्ति जिसका सभी अंश एवं भाग जिसका खाता संख्या 11, प्लॉट संख्या 10809, क्षेत्रफल 4.50 डिसिमल में है जो मौजा – चुरचु, थाना संख्या 166, पंजीकृत उप जिला – हजारीबाग में स्थित है। **चौहद्दी : उत्तर** – सड़क तत्पश्चात् सुनील राम का मकान, **दक्षिण** – खाली प्लॉट, **पूरब** – मनोहर राम का मकान, **पश्चिम** – खाली प्लॉट.	**Rs. 19,47,737.00** (रूपये उन्नीस लाख सैंतालीस हजार सात सौ सैंतीस मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 21.06.2025 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 8,69,000.00 / Rs. 86,900.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
3.	ऋणी: **श्री राजेन्द्र प्रसाद** पाईना पहाड़, गनवा देवती, कुजू बस्ती, कुजू, रामगढ़, झारखण्ड – 825316 जमानतदार: **श्री नरेन्द्र सिंह,** एम/136, आरा कॉलोनी, थाना–मांडु, आरा, रामगढ़–829134 **श्री मोगल चंद्रा**, शंकर मंदिर के समीप, मुरपा, पोस्ट – कुजू, थाना – मांडु, कुजू, रामगढ़ – 825316	सम्पत्ति जिसका सभी अंश एवं भाग जिसका प्लॉट संख्या 938, खाता संख्या 110, थाना संख्या 154, मौजा – कुजू, जिला – रामगढ़ में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 13.5 डिसमिल जो श्री राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र तुलसी साव के नाम पर है। **चौहद्दी : उत्तर** – सुरेश कुर्मी, **दक्षिण** – सड़क, **पूरब** – अशोक साव एवं अन्य, **पश्चिम** – नागेश्वर साव एवं अन्य.	**Rs. 23,04,515.84** (रूपये तेईस लाख चार हजार पांच सौ पंद्रह एवं पैसे चौरासी मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 22.04.2023 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 29,53,000.00 / Rs. 2,95,300.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
4.	ऋणी: **श्रीमती बबीता कुमारी** पत्नी श्री अशोक मंडल, निवासी – फ्लैट संख्या 4सी, चौथा तल्ला, ''मातेश्वरी टावर'' मौजा–भेलाटांड, थाना–बरवड्डा, जिला–धनबाद–826004 **इसके अलावा:** शिमलानगर, धैया, जिला–धनबाद–826001 जमानतदार: **श्रीमती लक्ष्मी देवी**, पत्नी ललन सिंह, फ्लैट संख्या 1–सी, प्रथम तल, ''मातेश्वरी टावर'', मौजा–भेलाटांड, थाना–बरवड्डा, जिला–धनबाद–826004	साम्यिक बंधक के रूप में सभी आवासीय सम्पत्ति जिसका सभी अंश एवं भाग जो श्रीमती बबीता कुमारी, पत्नी श्री अशोक मंडल के नाम से है जो ''मातेश्वरी टावर'' के चौथे तल पर स्थित फ्लैट संख्या 4–सी, निर्मित क्षेत्रफल 975 वर्गफीट तथा सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 1170 वर्गफीट है। उक्त अपार्टमेंट मौजा – भेलाटांड, मौजा संख्या – 89, प्लॉट संख्या–689, खाता संख्या – 24, थाना – गोविंदपुर, वर्तमान में बरवड्डा सदर, उप निबंधन कार्यालय धनबाद, जिला – धनबाद में स्थित है। उक्त संपत्ति का सेल डीड संख्या 5534 के माध्यम से क्रय की गई है। **सम्पत्ति की चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – अमित सिंह की जमीन, **दक्षिण** – सीढ़ी एवं लिफ्ट, **पूरब** – फ्लैट संख्या 4–बी, **पश्चिम** – कॉलोनी रोड.	**Rs. 22,74,009.00** (रूपये बाईस लाख चौहत्तर हजार नौ मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 10.12.2018 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 13,82,000.00 / Rs. 1,38,200.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
5.	ऋणी: **श्री मनोज कुमार मिश्रा** पुत्र श्री बृज कुमार मिश्रा, ''मातेश्वरी टावर'', फ्लैट संख्या–2ए, दूसरा तल्ला, भेलाटांड, थाना–बरवड्डा, प्लॉट संख्या 689, जिला–धनबाद–826004 **इसके अलावा:** शिमलाबेड़ा, धैया, (दैनिक जागरण के समीप) धनबाद, जिला–धनबाद–826004 जमानतदार: **श्री अशोक कुमार मंडल**, पुत्र श्री कृष्णा चन्द्र मंडल, शिमलानगर, धैया, जिला–धनबाद–826001	साम्यिक बंधक के रूप में सभी आवासीय सम्पत्ति जिसका सभी अंश एवं भाग जो श्री मनोज कुमार मिश्रा के नाम से है जो ''मातेश्वरी टावर'' के दूसरे तल्ले पर स्थित फ्लैट संख्या 2–ए, निर्मित क्षेत्रफल 1305 वर्गफीट तथा सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 1566 वर्गफीट है। इसके साथ बेसमेंट तल में एक आरक्षित कार पार्किंग स्थान भी शामिल है। उक्त अपार्टमेंट मौजा – भेलाटांड, मौजा संख्या – 89, प्लॉट संख्या– 689, खाता संख्या – 24, थाना – बरवड्डा में स्थित है जिसका सेल डीड संख्या 3234 दिनांक 27.04.2013 है। **सम्पत्ति की चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – खुला आकाश, **दक्षिण** – खुला आकाश, **पूरब** – खुला आकाश, **पश्चिम** – सीढ़ी एवं लिफ्ट उसके बाद फ्लैट संख्या 2बी एवं 2सी.	**Rs. 20,76,027.00** (रूपये बीस लाख छिहत्तर हजार सताईस मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 17.10.2017 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 16,44,000.00 / Rs. 1,64,400.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
6.	ऋणी: **मेसर्स अरियाना पावर इंफ्रा** पंजीकृत कार्यालय: 119, आशियाना ट्रेड सेंटर, प्रथम तल, आदित्यपुर, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम– 831013, झारखण्ड कारखाना का पता: प्लॉट संख्या 780 एवं 781, गाँव–सतपुरी, पोस्ट / थाना–तिरिंग, जिला – मयूरभंज–757053, ओड़िसा साझेदार: 1) **श्री सुशील कुमार अग्रवाल,** सुपुत्र बुध लाल अग्रवाल, डुप्लेक्स नंबर 26, फेज–1, विजया हेरिटेज, अनिल सुर पथ, उलियान, कदमा, जमशेदपुर, जिला – पूर्वी सिंहभूम – 831005, झारखण्ड 2) **श्री चंदन कुमार साहु,** सुपुत्र नेपाल चन्द्र साहु, टिएरा एफ–1604, लोढ़ा स्प्लेंद्र, घोर बुंदेर रोड, भयंदरपाड़ा, जिला – थाणे (वेस्ट) – 400615, महाराष्ट्र 3) **श्री राजेश कुमार यादव,** सुपुत्र रंगीलाल यादव, बाजारसाही, पोस्ट – बहलदा, जिला–मयूरभंज – 757046, ओड़िसा 4) **श्री सरबेश्वर महंता,** सुपुत्र श्री लक्ष्मीधर मोहंता, बनकाटी, पोस्ट – उकाम, कुमुदासोल, बादामपहाड़, जिला – मयूरभंज–757046, ओड़िसा 5) **श्री हरिलाल साहु,** सुपुत्र स्वर्गीय गदाधर साहु, बाजारसाही, बहलदा, जिला–मयूरभंज – 757046, ओड़िसा 6) **श्री नेपाल चन्द्र साहु,** सुपुत्र स्वर्गीय गदाधर साहु, बाजारसाही, बहलदा, जिला–मयूरभंज – 757046, ओड़िसा	साम्यिक बंधक के रूप में कारखाना जमीन एवं भवन जो मेसर्स अरियाना पावर इंफ्रा के नाम पर है जो मौजा – सतपुरी, थाना – तिरिंग, थाना संख्या 27, तहसील – तिरिंग, तहसील संख्या 27, जिला उप रजिस्ट्री कार्यालय बहलदा, जिला – मयूरभंज एवं राज्य – ओड़िसा में दर्ज खाता संख्या 55, प्लॉट संख्या 780, क्षेत्रफल 44 डिसिमल, प्लॉट संख्या 781, क्षेत्रफल 44 डिसिमल, कुल क्षेत्रफल 88 डिसिमल है। **चौहद्दी: उत्तर** – सड़क, **दक्षिण** – सड़क, **पूरब** – सड़क, **पश्चिम** – नाला.	**Rs. 1,59,93,125.21** दिनांक 01.04.2021 से अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क मांग पत्र और अनुबंधकीय बकाया शुल्क के अनुसार **Rs. 3,29,32,601.22** दिनांक 31.08.2025 तक लागत एवं ब्याज सहित **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 58,32,000.00 / Rs. 5,83,200.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
7.	ऋणी: **मेसर्स एकलव्य इंटरप्राईजेज मालिक: श्री राकेश कुमार सिंह,** होल्डिंग संख्या 5, जेनरल ऑफिस रोड, बिरला मंदिर कॉम्पलेक्स, न्यू केबल टाउन, गोलमुरी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन–831003 मालिक: **श्री राकेश कुमार सिंह** नारायण कुटीर, धोबी घाट के समीप, मकान संख्या 57, रोड नंबर 03, कदमा, जमशेदपुर, पिन–831005 जमानतदार: **श्रीमती स्वेता सिंह,** पत्नी राकेश कुमार सिंह, होल्डिंग संख्या 5, जेनरल ऑफिस रोड, बिरला मंदिर कॉम्पलेक्स, न्यू केबल टाउन, गोलमुरी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन–831003	साम्यिक बंधक के रूप में आवासीय जमीन जो श्वेता सिंह, पत्नी श्री राकेश कुमार सिंह के नाम से है जो मौजा–खखरीपाड़ा, सर्वे थाना संख्या–1193, हल्क–III, थाना–गोविंदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में स्थित है जिसका नया खाता संख्या 04, नया प्लॉट संख्या 452 का भाग, उप प्लॉट संख्या RC-60-I है जिसका कुल क्षेत्रफल 60 फीट x 30 फीट = 1800 वर्गफीट अथवा 4.12 डिसमिल है जो जिला उप रजिस्ट्री कार्यालय जमशेदपुर, जिला – पूर्वी सिंहभूम में है। **चौहद्दी: उत्तर** – उप प्लॉट संख्या RC-75-J, **दक्षिण** – उप प्लॉट संख्या RC-75-H, **पूरब** – उप प्लॉट संख्या RB-10, **पश्चिम** – 20 फीट रास्ता	**Rs. 68,74,608.00** (रूपये अड़सठ लाख चौहत्तर हजार छः सौ आठ मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 01.02.2024 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 21,87,000.00 / Rs. 2,18,700.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
8.	ऋणी: **श्रीमती प्रेमलता कुमारी एवं दयानन्द प्रसाद** पुत्र सुर्यदेव प्रसाद, क्वार्टर संख्या 55/2/3, जीएच कॉलोनी, छोटा गोविन्दपुर, जमशेदपुर–831015 **इसके अलावा :** शगुन पैलेस, फ्लैट संख्या 14/5, रोड नंबर 1, न्यू कासीडीह बगान एरिया, साकची, कासिडीह दुर्गा पूजा मैदान, जमशेदपुर–831001 **इसके अलावा :** फ्लैट संख्या ए3, बसंत द्वार, देवनगर, साकची, जमशेदपुर – 831001	साम्यिक बंधक के रूप में देवनगर स्थित बंसत द्वार नामक भवन जिसका आवासीय फ्लैट संख्या ए–3, भू–तल के उपरी तल्ले पर स्थित जिसका सुपर बिल्ट अप एरिया 555 वर्गफीट एक कार पार्किंग की जगह के साथ है जो रैयती घरेलु जमीन का अविभाजित आनुपातीय हिस्सा के रूप में 100 वर्गफीट है जिसका पुराना प्लॉट संख्या 2107, पुराना खाता संख्या 132 के रूप में दर्ज, वर्तमान सर्वे प्लॉट संख्या 248/3880 एवं 248/3879 के रूप में दर्ज नया खाता संख्या 125 एवं 81, मौजा – साकची, पोस्ट एवं थाना – साकची, थाना संख्या 1153, वार्ड संख्या 7 (जे.एन.ए.सी), ब्लॉक एवं शहर – जमशेदपुर, परगना – धालभूम, जिला – पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड में स्थित है। **चौहद्दी: उत्तर** – 12 फीट की चौड़ी सड़क, **दक्षिण** – गली, **पूरब** – फ्लैट संख्या ए–2, पश्चिम – 16 फीट की चौड़ी सड़क।	**Rs. 29,85,836.00** (रूपये उनतीस लाख पचासी हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 01.02.2024 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 10,11,000.00 / Rs. 1,01,100.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
9.	ऋणी: **मेसर्स श्री श्याम ट्रेडर्स मालिक: श्रीमती किरण ठक्कर** फ्लैट संख्या बी1 2, आउटर सर्कल रोड, जय प्रभा कॉम्पलेक्स, कदमा, जमशेदपुर–831005 **श्रीमती किरण ठक्कर** फ्लैट संख्या बी1 2, आउटर सर्कल रोड, जय प्रभा कॉम्पलेक्स, कदमा, जमशेदपुर–831005	साम्यिक बंधक के रूप में फ्लैट जो श्रीमती किरण ठक्कर के नाम से फ्लैट संख्या बी1/2, जय प्रभा कॉम्पलेक्स, कदमा में है। उक्त फ्लैट का क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट है तथा यह भूतल पर स्थित है। उक्त संपत्ति मूल सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 1515, मूल सर्वेक्षण खाता संख्या 6 के एक भाग में अवस्थित है, जो वर्तमान में नए प्लॉट संख्या 2715, 2716, 2718, 2719, 2720 एवं 2721 के अनुरूप है तथा नए खाता संख्या 216 में दर्ज है जो मौजा– कदमा, वार्ड संख्या–2, जेएनएसी, थाना – कदमा, जमशेदपुर में स्थित है जिसका सोसाइटी लीज डीड संख्या 5114, दिनांक 25.07.2005 द्वारा निबंधित है। **चौहद्दी: उत्तर** – सड़क, **दक्षिण** – सोसाईटी का परिसर, **पूरब** – फ्लैट संख्या बी–2/1, **पश्चिम** – फ्लैट संख्या बी–1/1.	**Rs. 51,98,316.01** (रूपये इक्यावन लाख अंठानबे बजार तीन सौ सोलह एवं पैसे एक मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 01.04.2021 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 45,57,000.00 / Rs. 4,55,700.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
10.	ऋणी: **मेसर्स आर एस इंटरप्राईजेज** बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप, रातु रोड, रांची, हेसल, रांची, झारखण्ड – 834001 **श्री राजीव कुमार सिंह (मालिक)** फ्लैट संख्या 401, ब्लॉक–बी, वेस्ट विंड अपार्टमेंट, हेहल, रांची, झारखण्ड–834005 **श्रीमती सुनिता सिंह (जमानतदार)** पत्नी राजीव कुमार सिंह, फ्लैट संख्या 401, ब्लॉक–बी, वेस्ट विंड अपार्टमेंट, हेहल, रांची, झारखण्ड–834005 **श्री प्रवीण अग्रवाल,** पुत्र नन्द किशोर अग्रवाल, 23, राम इकबाल पथ, सुखदेव नगर, पिपल पेड़ के समीप, हेहल, रांची, झारखण्ड–834005	आवासीय फ्लैट संख्या 203, द्वितीय तल पर स्थित, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट अर्थात 116.12 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र) है, जो किरण अपार्टमेंट नामक भवन में स्थित है जिसका सर्वे प्लॉट संख्या 497, उप प्लॉट संख्या 497/ए1, ए–II, ए–III, 497 ए–सी एवं 497–बी1 है जिसका खाता संख्या 01, मौजा–हेसल, थाना – सुखदेवनगर, थाना संख्या 203, वार्ड संख्या 33, जिला –रांची, झारखंड में स्थित है। **चौहद्दी: पूरब** – साइड सेट बैक, **पश्चिम** – फ्लैट संख्या 204, **उत्तर** – लिफ्ट पैसेज, फ्लैट संख्या 202, **दक्षिण** – फ्रंट सेट बैक क्षेत्र.	**Rs. 2,04,37,252.84** (रूपये दो करोड़ चार लाख सैंतीस हजार दो सौ बावन एवं पैसे चौरासी मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 01.07.2026 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 26.11.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 33,06,000.00 / Rs. 3,30,600.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 25.11.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक
11.	ऋणी: **श्रीमती सुदर्शना नाथ सरन** पत्नी संजय कुमार, फ्लैट संख्या 4–एफ, चौथा तल्ला, ब्लैक डायमंड पैलेस, गांधीनगर, कांके रोड, डीएवी स्कूल के समीप, कांके–834008	श्रीमती सुदर्शना नाथ सरन के स्वामित्व वाली संपूर्ण संपत्ति, जिसमें ब्लैक डायमंड पैलेस के चौथे तल पर स्थित फ्लैट संख्या 4ई शामिल है जो मौजा – मिसिरगोंदा, थाना – गोंदा, थाना संख्या – 191, जिला – राँची, झारखंड, पिन कोड – 834008 में स्थित है। उक्त फ्लैट का खाता संख्या – 317, आर.एस. प्लॉट संख्या – 1366 (भाग) के अंतर्गत स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 972 वर्गफीट है। इसके साथ भूमि में 397 वर्गफीट अर्थात् 0.91 डिसमिल का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा तथा एक पार्किंग स्थान संख्या 4/ई भी शामिल हैसिका होल्डिंग संख्या – 231/ए–1, वार्ड संख्या–02 के अंतर्गत स्थित है। **चौहद्दी: उत्तर** – खुला आकाश, **दक्षिण** – फ्लैट संख्या 4/डी, **पूरब** – कॉरिडोर उसके बाद फ्लैट संख्या 4/एफ, **पश्चिम** – खुला आकाश.	**Rs. 25,65,871.00** (रूपये पचीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) + अप्रायोजित ब्याज एवं शुल्क दिनांक 30.05.2025 से लागू न हुआ जिसकी वूसली उक्त संपत्ति को बेचकर की जानी है **दिनांक 05.12.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 30,25,000.00 / Rs. 3,02,500.00 / Rs. 10,000.00	प्रतीकात्मक कब्जा / दिनांक 17.11.2026 से 04.12.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं **https://baanknet.com** पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल सं **7542032124** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 09.11.2026, स्थान : रांची — **नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।** — ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बाल विवाह से किशोरियों की गर्भधारण दर 2% बढ़ी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में किशोरियों के गर्भधारण की दर में दो फीसदी का इजाफा हुआ है। इसके पीछे बाल विवाह एक प्रमुख कारण है। यह आंकड़ा सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और निपटने को विशेष कार्ययोजना पर काम कर रहा है। साथ ही किशोरियों को कम उम्र में गर्भधारण के जोखिम से बचाने को परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भनिरोधक साधनों और परामर्श की पहुंच बढ़ाने की भी तैयारी है। एनएफएचएस-6 के अनुसार, राज्य में किशोर गर्भधारण (टीनएज प्रेग्नेंसी) की दर 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। यहां किशोरियों के गर्भधारण की दर 13.3 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.7



प्रतिशत है। यानी गांवों में किशोरियों के कम उम्र में मां बनने का जोखिम शहरों की तुलना में लगभग तीन गुना है। यूनिसेफ की झारखंड हेड डॉ. कनीनिका मित्रा ने इसके चार कारण गिनाए हैं। कहा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच 8.6 % अंक का अंतर केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का नतीजा नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं, बाल विवाह और किशोरियों के भविष्य की चुनौतियों को भी उजागर करता है।

बाल विवाह के 4 प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण

1. शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर स्पष्ट नहीं होने से भी परिवार जल्दी शादी को प्राथमिकता देने लगते हैं।
2. एक नीतिगत समस्या यह भी है कि 18 वर्ष से कम उम्र की मां कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती है।
3. कुछ समुदायों में कम उम्र में शादी करने से खर्च और दहेज कम होने जैसी भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। सुरक्षा को लेकर कम उम्र में शादी का कारण बनती है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की कमी और स्कूलों की अधिक दूरी से लड़कियों की पढ़ाई बाधित होती है।

12 जिलों में जिलास्तरीय विशेष कार्ययोजना शुरू

बाल विवाह पर रोकने को राज्य के 12 जिले विशेष रूप से चिह्नित किए गए हैं। इनमें संताल परगना के सभी छह जिलों के अलावा गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इन जिलों में जिला स्तर पर विशेष योजनाओं के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम पर काम किया जा रहा है।

व्यवस्था : गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच होगी

स्वास्थ्य विभाग ने सुमन रोडमैप–2030 के तहत प्री-कंसेप्शन केयर यानी गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था लागू की है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की राज्य नोडल अधिकारी डॉ. पुष्पा के मुताबिक, इस व्यवस्था में सहिया गांव स्तर पर गर्भधारण की योजना बनाने वाली महिलाओं को चिह्नित करेगी।

हकीकत : बाल विवाह पांच साल में 4% ही कम

झारखंड में एनएफएचएस–5 के दौरान बाल विवाह की दर 32 प्रतिशत थी, जो एनएफएचएस–6 में घटकर 28 प्रतिशत हुई है। हालांकि, यह गिरावट समस्या की गंभीरता को देखते हुए काफी धीमी है। राष्ट्रीय औसत करीब 20 प्रतिशत है। इस मामले में झारखंड देश के पांच सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में चौथे स्थान पर है।

अदालत से : बिना बीमा के चल रहे वाहनों पर सवाल, कोर्ट ने याचिका निष्पादित की

गैर व्यावसायिक सरकारी वाहनों का बीमा अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐसे वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य नहीं है, जिनका इस्तेमाल केवल गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(2) में ऐसे वाहनों को बीमा कराने से छूट दी गई है। इस कानूनी प्रावधान के रहते राज्य सरकार को सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह थर्ड पार्टी बीमा कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसी टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने सरकारी वाहनों का बीमा अनिवार्य करने और बिना बीमा वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका निष्पादित कर दी है।

रवि कुमार वर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकारी वाहनों के बिना बीमा सड़कों पर चलने का मुद्दा उठाया था। याचिका में कहा गया था कि बड़ी संख्या में सरकारी वाहन बिना बीमा और नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे हैं। इन वाहनों से दुर्घटना होने की स्थिति में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं में लोगों की मौत भी होती है, लेकिन वाहनों का बीमा नहीं होने के कारण पीड़ितों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। प्रार्थी ने अदालत से मांग की थी कि राज्य सरकार को सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह बीमा कराने का निर्देश दिया जाए। सरकार यह भी बताए कि वह कब तक सभी सरकारी वाहनों का बीमा कराएगी। इसके अलावा जब तक वाहनों का बीमा नहीं हो जाता, तब तक उनके सड़क पर परिचालन पर रोक लगाई जाए। सरकारी वाहनों से दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।



बिना नंबर प्लेट नहीं चल रहे सरकारी वाहन

मामले में राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने शपथपत्र दाखिल कर इस आरोप से इनकार किया था कि सरकारी वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे हैं। सरकार ने बीमा के मुद्दे पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 का हवाला दिया था। सरकार की ओर से बताया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(1) में सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान है।

फाइलों की सुस्ती पर कोर्ट सख्त राज्य सरकार की अपील खारिज

रांची, विसं। सरकारी कामकाज में प्रशासनिक जटिलताओं और फाइलों के एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में देरी का हवाला देकर मुकदमे में हुई देरी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। कानून की नजर में सरकार और आम नागरिक समान हैं। केवल सरकारी मशीनरी होने के आधार पर सरकार को देरी के मामलों में विशेष छूट नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अपील दायर करने में हुई देरी माफ करने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उत्पल चक्रवर्ती बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उत्पल चक्रवर्ती की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार और अधिवक्ता सूरज वर्मा ने पक्ष रखा। खंडपीठ ने कहा कि सरकारी अधिकारी अक्सर अपनी लापरवाही छिपाने को फाइलों के लंबित रहने और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसे पुराने बहानों का सहारा लेते हैं।

राजहंस फिलिंग स्टेशन को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा

रांची। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फिलहाल रांची के रामपुर बाजार स्थित राजहंस फिलिंग स्टेशन के ढांचे को ध्वस्त करने की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट में एनएचएआई की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालक राजहंस मिश्रा ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने याचिका वापस लेने के आधार पर निष्पादित कर दी।

निर्माण कंपनी के डिबार का आदेश कोर्ट ने किया रद्द

रांची। हाईकोर्ट ने एक निर्माण कंपनी को भविष्य की सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने (डिबार) के आदेश को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने कहा कि कंपनी को जारी कारण बताओ नोटिस में डिबार की प्रस्तावित कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। ऐसे में कंपनी को इस कार्रवाई के खिलाफ अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं मिला।

मिड-डे मील में रिश्वत लेने के आरोपी को बेल

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना में रिश्वत लेने के आरोपी सिमडेगा के बीपीओ अनिल खलखो को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने, अभियोजन स्वीकृति में देरी, आरोपी के जेल में रहने की अवधि और उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने समेत अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की। अनिल खलखो 25 जून से न्यायिक हिरासत में थे। इसके पूर्व मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनिल खलखो सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड स्थित बीआरसी कार्यालय में बीपीओ के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ एसीबी रांची ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

हत्याकांड में तीन दोषियों की सजा रद्द

रांची। हाईकोर्ट ने वर्ष 1998 में जमीन विवाद को लेकर हुई गौर ठाकुर की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सुखदेव ठाकुर, पुशु ठाकुर और नारायण ठाकुर की सजा रद्द कर दी है। कहा कि अभियोजन पक्ष तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में कई गंभीर विरोधाभास मिले हैं। ऐसे में केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों आपराधिक अपीलें कोर्ट ने स्वीकार करते हुए हजारीबाग के निचले कोर्ट के 29 सितंबर 2003 के फैसले को रद्द कर दिया।

दक्षिण पूर्व रेलवे – निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए, चिकित्सा/चक्रधरपुर द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए खुली निविदा के प्रतिपक्ष ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इस निविदा के लिए मैनुअल प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती है एवं ऐसा कोई मैनुअल प्रस्ताव प्राप्त होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। **निविदा सूचना सं. : सीएमएस–सीकेपी–ब्लड–26–27–1, कार्य का नाम:** दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर के मंडल रेलवे अस्पताल में रक्त केंद्र (ब्लड सेंटर) का पांच वर्ष की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव कार्य की आउटसोर्सिंग। **निविदा मूल्य:** रु.2,27,86,140/–, **बयाना राशि:** रु.2,63,900/–, **ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य:** रु.0.00, **अंतिम तिथि:** दिनांक 30.11.2026, निविदा वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** में देखी जा सकती है। निविदाकार/बोलीदाता के पास क्लास–III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रहना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल के अधीन जरूर पंजीकृत रहें। केवल पंजीकृत निविदाकार/बोलीदाता ई–निविदा प्रणाली में भाग ले सकते हैं। ई–निविदा प्रणाली में भाग लेते समय सभी संबंधित कागजात अवश्य अपलोड किए जाएं। **(PR-991)**

दीवाली पर साइलेंस जोन में 83.75% ज्यादा शोर

ध्वनि प्रदूषण

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। दिवाली की रात रांची के साइलेंस जोन भी पटाखों के शोर से गूंजते रहे। ध्वनि प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक से काफी अधिक दर्ज हुआ। सदर अस्पताल में रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 73.5 डेसीबल (डीबी) रहा। यह रात के निर्धारित मानक 40 डेसीबल से 83.75 फीसदी अधिक है।

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से दिवाली के दौरान रांची में तीन स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी की गई। इनमें साइलेंस जोन के रूप में चिह्नित सदर अस्पताल और देवनिका अस्पताल के अलावा व्यावसायिक सह आवासीय क्षेत्र में स्थित पर्षद का मुख्यालय शामिल है। सदर अस्पताल में दिन के समय यानी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भी ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 68.5 डेसीबल दर्ज किया गया, जबकि साइलेंस जोन में दिन का निर्धारित मानक 50 और रात का 40 डेसीबल है। तुपुदाना स्थित देवनिका अस्पताल में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 76.8 डेसीबल और रात में 71.4 डेसीबल रिकॉर्ड किया गया। पर्षद के अनुसार, अस्पताल साइलेंस जोन में चिह्नित है, पर यह औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। वहीं, जेएसपीसीबी के मुख्यालय में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर 65.4 डेसीबल और रात में 70.5 डेसीबल दर्ज किया गया। पर्षद ने दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। साथ ही झारखंड में 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

रांची में दीवाली पर पीएम 10 का स्तर दोगुना

दिवाली पर रांची में वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया। डोरंडा स्थित वन भवन में रविवार को पीएम–10 का औसत स्तर करीब 200 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया। यह निर्धारित मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर का दोगुना है।

सोमवार को हवा की गुणवत्ता में दिखा सुधार

दीपावली की रात प्रदूषण बढ़ने के बाद अगले दिन इसमें गिरावट आई। रांची समेत प्रमुख शहरों में एक्यूआई 150 से नीचे पहुंच गया। इससे संकेत मिलता है कि आतिशबाजी के दौरान हवा में बढ़े प्रदूषणों का स्तर अगले दिन कम हुआ।

बिहार सरकार

समाहरणालय, मुंगेर
(मद्यनिषेध–शाखा)

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018, 2022 एवं 2023) के अन्तर्गत जब्त एवं अधिहरित वाहनों को अपीलीय न्यायालय के द्वारा शास्ति/जुर्माना पर मुक्त कराने हेतु अल्पकालीन सूचना

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वैसे वाहन जिन्हें मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के तहत मद्यनिषेध विभाग एवं पुलिस थाना द्वारा जप्त किया गया। बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018, 2022 एवं 2023) के अंतर्गत जप्त निम्नांकित सारणी में अंकित वाहनों की जप्ती के 30 दिन हो चुके है एवं वाहनों को पेनाल्टी पर मुक्त कराने हेतु वाहन मालिक या अन्य कोई दावेदार विज्ञापन एवं डाक द्वारा नोटिस के उपरांत भी उपस्थित नही हुए है। तद्श्चात समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर द्वारा सूची में अंकित वाहनों को शराब परिवहन में जप्त एवं अधिहरित/राज्यसात किया गया है, जो कि अधिहरण के पश्चात नीलामी की प्रक्रिया के अन्तर्गत है। इनमें से ज्ञात वाहनों के स्वामी (वाहन मालिकों) को डाक द्वारा व्यक्तिगत नोटिस भी भेजी जा चुकी हैं। जिन वाहनों के स्वामित्व का पता नही चल सका है वैसे वाहनों का वाद अज्ञात के विरूद्ध संचालित किया गया है।

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत **आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलीय न्यायालय (माननीय आयुक्त उत्पाद, के न्यायालयं) में अधिहरण आदेश के विरूद्ध अपील कर सकते हैं।** इस हेतु सभी वाहन स्वामी इस नोटिस के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर **अपीलीय न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं।** 15 दिनों के अन्दर वाहन स्वामी के द्वारा अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रखने/ससमय सूचित नही करने की स्थिति में आपका वाहन नीलामी की प्रक्रिया में भेज कर नीलाम कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

यदि कोई वाहन स्वामी वाहन को शास्ति पर मुक्त कराने हेतू इच्छुक है तो वे अपना आवेदन अधिहरण आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय (माननीय आयुक्त उत्पाद, के न्यायालय में) में समर्पित कर सकते है साथ ही इसकी सूचना तत्काल कार्यालय सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, मुंगेर (मो0– +91 9473400626, Email Id :- munger-excise@nic.in) में अथवा कार्यालय समाहर्त्ता, मुंगेर में समर्पित करेंगें।

वाहनों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:–

क्र0 सं0	उत्पाद अधिहरण वाद सं0	थाना का नाम	थाना कांड सं0 एवं दिनांक	गाड़ी का नाम	गाड़ी का रजिस्ट्रेशन	इंजन नम्बर	चेचिस नम्बर	वाहन स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	51/2026	तारापुर	168/2025	MARUTI SUZUKI FRONX SIGMA (FOUR WHEELER)	JH16K-4133	K12NP7625092	MBHKWD13SSB484378	अमन कुमार सिंह, पे0–प्रदीप कुमार सिंह, सा0 महवादगा, पो0–पाकुड़, थाना–पाकुड़, राज्य –झारखंड–816107

नीलामी की विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR- 015116 (Excise) 2026-27 — समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुंगेर

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाना पति को पड़ा भारी, मिला तलाक

रांची, विशेष संवाददाता। पत्नी के चरित्र और पवित्रता पर बेबुनियाद आरोप लगाना तथा उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पति को भारी पड़ गया। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता मानते हुए 24 साल पुराने विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाकर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना सामान्य वैवाहिक विवाद नहीं, बल्कि मानसिक क्रूरता है।

पत्नी ने पति प्रसून कुमार मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने 25 जुलाई 2011 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

दहेज के लिए चार लाख रुपये मांगने का आरोप

दोनों की शादी 10 मार्च 2002 को हुई थी। दिसंबर 2002 में उनके बेटे का जन्म हुआ। पत्नी का आरोप था कि बेटे के जन्म के बाद पति और ससुराल वालों ने व्यवसाय शुरू करने के लिए चार लाख रुपये की मांग की।

पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप मानसिक क्रूरता : हाईकोर्ट

रांची, विशेष संवाददाता। पत्नी किसी दूसरे पुरुष से बात करे तो उसके चरित्र पर सवाल उठाना और अवैध संबंध का आरोप लगा देना पुरुष की संकीर्ण और लिंग आधारित सोच को दर्शाता है। ऐसे बेबुनियाद आरोप पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने स्पष्ट किया कि महज किसी पुरुष से बातचीत करने के आधार पर पत्नी के चरित्र पर संदेह नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बोकारो के बेरमो स्थित तेनुघाट फैमिली कोर्ट के 30 नवंबर 2023 के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। फैमिली कोर्ट ने पति की दायर तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। पति-पत्नी की शादी 30 अप्रैल 2005 को हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उससे दूरी बनाकर रखती थी और अक्सर उसके तथा परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा करती थी।